तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
15.03.2023	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये एक माह से अधिक का समय हो चुका है। बावजूद रजिस्टर्ड डाक के भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में वकील वादी ने वादपत्र के तकास्मा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा में अंकित अनुसार विधिक विभाजन करते हुए वादग्रस्त भूमि के पूर्व पश्चिम में दक्षिणी ओर की भूमि वादी के एंव पूर्व पश्चिम उत्तरी तरफ की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से में आने से उसी अनुसार प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी नहीं की जाकर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु आज ही बहस सुनी जाने बाबत् निवेदन किया गया। उपस्थित वकील वादी के निवेदन पर बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादी की एक पक्षीय बहस के आधार पर प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से व मौके के कब्जे काश्त अनुसार दर्ज कृषि भूमियों का वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के मध्य उनके नाम दर्ज हक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य हुए राजीनामा दिनांक 06.02.2023 में वर्णित अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्व पश्चिम में दक्षिणी ओर की भूमि वादी के एंव पूर्व पश्चिम उत्तरी तरफ की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से में आने से उसी अनुसार विधिक विभाजन कर अलग से बटटा नम्बर डालकर अलग–अलग लगान कायम करते हुए पृथक–पृथक खातेदारी पक्षकारान् के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.04.13 13:25:34 IST Reason: SelfAttested 15/03/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
12 / 2023	2023 / 31	20.01.2023	15.03.2023

उनवान प्रकरण

अमित कुमार पुत्र सागरमल जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 12, हलवाईयों का मौहल्ला श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

—वादी—

बनाम

1. छोटी देवी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 6 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. जयललिता पत्नी मोतीराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 6 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित:—

श्री संजय कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री हिमांशु शर्मा, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.13 13:25:34 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

15/03/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1298/2 रकबा 0.37 है0 तन् ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसकी 82/185 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम एवं 103/370 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीया नम्बर 1 के नाम एवं 103/370 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीया नम्बर 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमियॉ वादी एवं प्रतिवादीयागण नम्बर 1 व 2 की शामलाती खातेदारी भूमियॉ है तथा उक्त भूमियो का पक्षकारान के मध्य कोई विधिक विभाजन नही हुआ है तथा बिना विधिक विभाजन सहखातेदार का कानूनन इंच इंच पर पर हक हिस्सा अधिकार होता हैं तथा बिना विधिक तकास्मा कराये अन्तरित का हक अधिकार नही होता हैं। प्रतिवादीयागण के मन में वर्तमान समय में जमीनों की बढती हुयी कीमतो के कारण बदनियति आ गयी है तथा प्रतिवादीयागण द्वारा आये दिन अनावश्यक रूप से वादी से वाद–विवाद उत्पन्न किया जाता है तथा उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप में उपयोग–उपभोग करने में अवरोध कारित किया जाता है। इसलिये उक्त भूमि का वादी का प्रतिवादीगण की शामिल खातेदारी में काश्त किया जाना असंभव हो गया हैं तथा वादी अपनी आवश्यकतानुसार अपनी भूमि को समुचित विकास एवं उपयोग–उपभोग करने से महरूम हो रहा है। इसलिये उक्त वर्णित भूमि का कानूनन विभाजन कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीयागण उक्त वर्णित भूमि को बाला–बाला बिना विधिक या संतुलित रूप से बंटवारा करवायें ही भूमियां को दीगर भूमाफियो को विक्रय कर उनका कब्जा करवाने व भूमि के विशिष्ट भाग पर निर्माण करने एवं कृषि भूमि को अकृषि भूमि में [illegible] करने एवं दीगर को अन्तरण करने एवं विशिष्ट भू–भाग पर [illegible] धमकियां दे रही हैं व वादी को उसके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की धमकीयां दे रही है व कुचेष्टा कर रही है। जिनको शामलाती भूमि का बिना विधिक बंटवारा कराये कोई हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.13 13:25:34 IST
Reason: SelfAttested

13/03/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। वादी को प्रतिवादीगण ने काफी हैरान परेशान कर रखा है, कहने सुनने से प्रतिवादीयागण मान नही रही हैं। इसलिए प्रतिवादियागण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। प्रतिवादीयागण बिना विधिक बंटवारा कराये उक्त वर्णित भूमि को बढती हुयी कीमते के कारण उनके मन में बदनियति आने पर दीगर भूमाफियाओ को विशिष्ठ भू–भाग को बैचान करने एवं जबरन विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा कराने पर आमादा है, कहने सुनने से मान नहीं रहे हैं तथा धमकी दे रहे हैं कि हम हमारी ईच्छानुसार भूमि के विशिष्ठ भाग पर कब्जा करके वादी को शामलाती भूमि से बेदखल करेगें तथा भूमि को अकृषि भूमि में बदलेंगे एवं दीगर भूमाफिया प्रवृत्ति के लोगो को विक्रय करेगें। यदि प्रतिवादीयागण ने उक्त शामलाती भूमि में विशिष्ठ भू–भाग पर स्वयं का कब्जा कर लिया या दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को अन्तरण कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अन्तरित कर दिया या भूमि में निर्माण कर लिया या कृषि भूमि से अकृषि में तब्दील कर दिया तो वादी के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकुक गम्भीर रूप से प्रभावित होगे। वादी अपने हिस्से की भूमियों से बेजा तौर पर महरूम हो जावेगा। अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी बढेगी, जिससे वादी को इस कदर क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। वादी व प्रतिवादीयागण ने अपनी उक्त भूमियों का बंटवारा नहीं कर रखा हैं। इसलिए वादी ने उक्त भूमियों का बंटवारा करवाने हेतु प्रतिवादीयागण नम्बर 1 ता 2 को कहा तो टालमटोल कर रही हैं तथा दिनांक 15.01.2023 को प्रतिवादीयागण ने भूमियों कानूनी बंटवारा करवाने से स्पष्ट इन्कार दिया तथा बिना विभाजन के भूमियों के कीमती विशिष्ठ एवं उपजाऊ भाग पर जोर जबरन से अतिक्रमण करने एवं कब्जा करने व कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एवं दीगर व्यक्तियों को अन्तरित करने व उक्त भूमियों में जबरन ताकत के बल पर निर्माण करने की [illegible] देने से वादकारण पैदा हुआ हैं व लगातार हो रहा हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1[illegible]/2 रकबा 0.37 है0 तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 [illegible] वादी एवं प्रतिवादीयागण नम्बर 1 ता 2 के मध्य उनके दर्ज हिस्से के अनुसार विधिक [illegible]जन करवाया जाकर अलग–अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.13 13:25:34 IST
Reason: SelfAttested

15/03/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तथा अलग–अलग सीव कायम कर नक्शे मे तरमीम करवाये जाने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाये जाने का निवेदन किया। वादी ने विधिक विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्राप्त करने के लिए यह वादपत्र पेश किया गया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिस पर उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पहचान श्री हिमांशु शर्मा एड0 ने की एंव उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील द्वारा की गई। उपस्थित पक्षकारान् को राजीनामा पढकर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान के द्वारा स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की तामील करवाये एक माह से भी अधिक का समय हो चुका है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने तथा पक्षकारान् के मध्य हुए राजीनामा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि का आपस में मिल बैठकर राजीनामा कर लिये जाने तथा राजीनामा अनुसार वादग्रस्त भूमि के पूर्व पश्चिम में दक्षिणी ओर की भूमि वादी के एंव पूर्व पश्चिम उत्तरी तरफ की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से में आने से उसी अनुसार प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी नहीं की जाकर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु आज ही बहस सुनी जाने बाबत् निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील वादी के निवेदन पर बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई।

हमनें वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस [illegible] मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों [illegible] चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा दिनांक 06.02.2023 इत्यादि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.13 13:25:34 IST
Reason: SelfAttested

13/03/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रमाणित होता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य हुए राजीनामा में अंकित अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्व पश्चिम में दक्षिणी ओर की भूमि वादी के एंव पूर्व पश्चिम उत्तरी तरफ की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से में आने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी नहीं की जाकर प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए बंटवारा के राजीनामा अनुसार प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी नहीं की जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। जिसके आधार पर वादी के वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री की जाती है कि तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1298/2 कुल रकबा 0.3700 है0 का वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के मध्य उनके नाम दर्ज हक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य हुए राजीनामा दिनांक 06.02.2023 में वर्णित अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्व पश्चिम में दक्षिणी ओर की भूमि वादी के एंव पूर्व पश्चिम उत्तरी तरफ की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से में आने से उसी अनुसार विधिक विभाजन कर अलग से बट्टा नम्बर डालकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.13 13:25:34 IST
Reason: SelfAttested

15/03/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अलग–अलग लगान कायम करते हुए पृथक–पृथक खातेदारी पक्षकारान् के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉंच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

15/03/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 15.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/03/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.13 13:25:34 IST
Reason: SelfAttested